उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 183/2021 दिनांक /Date.: 17-06-2021

संवाद–121

विषयः– **आयोग द्वारा विभिन्न पदों की पूर्व में जारी श्रेष्टता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के स्थगित किए गये अभिलेख सत्यापन को पुनः निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख सत्यापन किए जाने के सम्बन्ध में।**

प्रिय अभ्यर्थियों,

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा **पद नाम कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (पद कोड–131 व 532/214/24/2020), सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3, पशुधन प्रसार अधिकारी (85 प्रतिशत सीधी भर्ती हेतु) (पद कोड–646/343.1/23/2020) व (10 प्रतिशत विभागीय कार्मिकों हेतु) (पद कोड–646/343.2/23/2020) एवं अधिदर्शक/प्रदर्शक (रेशम) (पद कोड–658/022/23/2020), निरीक्षक रेशम (पद कोड–658/331/23/2020), एवं कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) (पद कोड–52.1R, 52.2R) व अन्य छूटे गये** पद कोडों अभिलेख सत्यापन हेतु श्रेष्टता सूचियाँ आयोग की वैबसाइट पर जारी की गईं, जिनका पूर्व में घोषित/जारी कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख सत्यापन को प्रदेश में कोविड–19 महामारी के प्रभावी संक्रमण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–कर्फ्यू हेतु जारी कार्ययोजना के दृष्टिगत आयोग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से उक्त अवधि में होने वाले अभिलेख सत्यापन कार्य को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया।

वर्तमान में राज्य में कोविड–19 के संक्रमण का प्रभाव कम होने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के आधार पर आयोग के द्वारा पूर्व में स्थगित किए गये अभिलेख सत्यापन के संदर्भ में उक्त पद कोडों के अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो आयोग की वैबसाइट पर अपलोड किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि :–

1. अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को अपने समस्त मूल अभिलेखों के साथ **(आयोग की विज्ञप्ति में विवरण दिया गया है) आयोग कार्यालय में प्रातः 9.30 बजे** में उपस्थित होना होगा। अभिलेख सत्यापन हेतु जारी **कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक दिवस को प्रथम पाली (प्रातः) 30 अभ्यर्थियों का एवं द्वितीय पाली (भोजनावकाश) के उपरान्त 30** अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जायेगा।
2. राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुक्रम में व अभ्यर्थियों तथा आयोग कार्मिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन की तिथि को RT PCR/ True Nat/ CBNAAT/RAT Negative Test Report **(अधिकतम 72 घंटे पूर्व)** में से कोई भी **एक निगेटिव रिपोर्ट** साथ लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी के द्वारा **उक्त रिपोर्ट को आयोग कार्यालय के मुख्य गेट पर दिखाए जाने के उपरान्त ही** अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
3. यदि जॉच में कोई अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव पाये जाते हैं तो वे अभिलेख सत्यापन के लिए आयोग कार्यालय में न आंये तथा कोविड गाइडलाइन के अनुसार तत्काल आइसोलेट हों व चिकित्सा प्राप्त करें। अभ्यर्थी के कोरोना पॉजिटिव आने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को उसकी सूचना आयोग को ई–मेल **(mail: chayanayog@gmail.com)** के माध्यम से देनी होगी जिससे ऐसे अभ्यर्थी को उनके कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद अभिलेख सत्यापन का अवसर दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही अभिलेख सत्यापन की तिथि को आयोग कार्यालय में **सभी अभ्यर्थी मास्क पहनकर व सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे।**

आयोग की ओर से,

17/6/21

(संतोष बडोनी)
सचिव